| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स |
|---|---|
| 18/9/18 | पत्रावली आज संजय सीक अदालत इनडियन न्याय आपके द्वारा 2018 केस कार्यवाही लेडिया में पेश हुआ उभय पक्षकारान ने प्रकरण पेश कर निवेदन किया है कि हम दोनों पक्षों के आपसी मतभेद से राजीनामा हो गया है, अब कोई विवाद आपस में नहीं है, इसलिए प्रकरण पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रकरण को निरस्त फरमाया जावे। |
| | उक्त दोनों पक्षों के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रथमदृष्टया धारा 128 एल.आर. एक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली के संलग्न कुमार होकर नस्तर हो फरमावे। |

Scanned by CamScanner